

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जमा भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने को स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण कार्य जाने पर स्वीकृत विरस्त की जा सकती है ।

फास खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 752 दिनांक 03/11/2020

प्रतीयागण D डीमिडी पूरपा रस @ डीमिडी ममता

में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12283/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/1346, 1347

दिनांक 03/11/2020 को जमा करा दी है ।

P.No = 455 (फून् का भाग) केयर-1

सरस्वती नगर

दिनांक 4/11/2020

सहायक नगर नियोजक,
नगर निगम, जोधपुर

सी + 1
आवासीय

he
di
8384940000